तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1121/2003/हनुमानगढ भादर राम बनाम शान्ति	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण बाजवूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.04.2022

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी ने प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांक 30–12–2002 को खारिज किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मीमों एवं प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण प्रार्थीगण एवं शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् खाता विभाजन एवं दिलाये जाने कब्जा दिनांक 3–5–2001 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या–19 की मृत्यु की सूचना आदेशिका अनुसार वादी को समय रहते हो चुकी थी किन्तु सूचना के बावजूद निर्धारित समयावधि में मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिस पर प्रतिवादी प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4सीपीसी का दिनांक 30–12–2002 को प्रस्तुत कर वाद वादिया जरिये अबैटमैन्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की। उनका तर्क है कि वादिया द्वारा कायम मुकाम के प्रार्थनापत्र के साथ न तो धारा 5 मियाद अधनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, ना ही प्रार्थनापत्र के समर्थन में कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया, ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य था। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर वादिया का वाद अबेट होने के आधार पर निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1121/2003/हनुमानगढ भादर राम बनाम शान्ति	नम्बर व तारीख

का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी फीनो उर्फ शान्ति द्वारा दिनांक 3–5–2001 को दावा खाता तकसीम व दिलाये जाने कब्जा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया और प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। दिनांक 30–5–2002 को शेष प्रतिवादीगण की तामील नहीं होने के कारण अखबार में साया करने के आदेश दिये गये। दिनांक 17–9–2002 को प्रतिवादीगण संख्या–5 ता 51 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए और प्रतिवादी संख्या–10 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश भी दिया गया। दिनांक 22–10–2002 को प्रतिवादी ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। दिनांक 28–11–2002 को वादी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। साथ ही आदेश 22 नियम 4 व 5 ए का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके प्रतिवादी संख्या–12, 13 व 16 का नाम कलमजन करने व प्रतिवादी संख्या–20 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु पेश किया। इस प्रार्थनापत्र का जवाब प्रतिवादी द्वारा दिनांक 9–12–2002 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से पुनः दिनांक 30–12–2002 को प्रतिवादी संख्या–19 जुगराज व प्रतिवादी संख्या–10 खोरसिंह के फौत होने व उसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने के कारण वाद अबेट होने के आधार पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की। इसका जवाब वादी की ओर से दिनांक 25–1–2003 को प्रस्तुत किया और कथन किया कि इसका इल्म तामिल कुनिन्दा की रिर्पोट का अवलोकन नहीं करने से नहीं हो सका, जिसका प्रतिवादी की ओर से पुनः जवाब प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना कि ''वादी को प्रतिवादी संख्या–19 के स्वर्गवास होने की जानकारी नहीं थी और जानकारी होने के 25दिन बाद ही कायम मुकाम की कार्यवाही कर दी।'' ऐसी स्थिति में वादिया का प्रार्थनापत्र मियाद बाहर नहीं मानकर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। तामिल रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या–12, 13 व 16 के नाम हजब करने का आवेदन पेश कर दिया और प्रतिवादी संख्या–20 रंगाराम का पुत्र पहले से रिकार्ड पर है और अन्य वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादिया निवासी ढाबा हाल बनवाला तहसील ढबवाली सिरसा हरियाणा का पता है और शादी होकर ससुराल में रहना बताया है। प्रतिवादी सभी गांव ढाबा के रहने वाले है इसलिए उसे जानकारी नहीं होने के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र मन्जूर किया है। दौराने वाद यदि कोई प्रतिवादी पक्षकार फौत होता है तो उसकी जानकारी सके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को देने की होती है। चूंकि इस प्रकरण में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही थी और वादी ने जानकारी होते ही प्रार्थनापत्र पेश कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को स्वीकार भी किया गया है। प्रतिवादी संख्या–10 के विधिक वारिसान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1121/2003/हनुमानगढ भादर राम बनाम शान्ति	नम्बर व तारीख
	पहले से ही रिकार्ड पर आ चुके है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और मण्डल के विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश में कोई अवैधता एवं अनियमितता नहीं है तथा मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर तलब करने के जो आदेश दिये गये वह उचित है और यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। मूल वाद तारीख पेशी से पूर्व भेजा जावे और विचारण न्यायालय दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए मूल वाद में अग्रिम कार्यवाही करें। पक्षकार को जरिये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में दिनांक 24–5–2022 को उपस्थित रहें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	